झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–**14.10.2018**

विज्ञापन संख्या–**06/2018**

झारखण्ड राज्य के नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पदों पर नियमित नियुक्ति परीक्षा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–810 दिनांक–29.01.2018 एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–2328 दिनांक–02.05.2018 द्वारा **सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी** के निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में Online आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. (क) (i) पद का नाम– सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी (Assistant Public Health Officer)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

Sl. No.	Category	Vertical Reservation No. of vacancies	Horizontal Reservation against total vacancy					
			Primitive Tribe	Women		Handicapped		
					Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Unreserved	28	Horizontal reservation of Primitive Tribes 00	--	01	01	01	00
ii	SC	06		01				
iii	ST	14						
iv	BC-I	05						
v	BC-II	03						
Total of (i) to (v)		56	00	01	01	01	01	00

नोटः– कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. वेतनमान – **9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 – 5400**

3. पद – स्थायी

4. परीक्ष्यमान अवधि – 2 (दो) वर्ष

5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव :–

(क) शैक्षणिक योग्यता :– सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदक को भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा आवेदक को चिकित्सक के रूप में निबंधन संख्या प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

(ख) **अनुभव** :– आवेदक को मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष की इन्टर्नशिप प्राप्त होना आवश्यक होगी।

6. उम्र गणना की संदर्भ तिथि :– 01.08.2018

(क) न्यूनतम उम्र सीमा :– 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–609 दिनांक–25.01.2016 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	35 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)	37 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित /अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)	38 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष

(ग) निःशक्त अभ्यर्थियों को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।

(घ) निःशक्तता का लाभ :–

i. आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। बाद में निःशक्तता का दावा मान्य नहीं होगा।

ii. निःशक्तता का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या– 2249 दिनांक– 03.04.2018 के आलोक में कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या– 2249 दिनांक– 03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र विज्ञापन के साथ संलग्न है तथा आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर **Important Jharkhnd Government Circular and Notices** में भी उपलब्ध है।

(ड.) भूतपूर्व सैनिकों (Ex- Service men) को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।

(च) **खेलकूद कोटा** के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा श्रेणी –II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

प्रतियोगिता का स्तर	उपलिब्ध
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

कृ0पृ0उ0

7. सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–

(क) अर्हताधारी अभ्यर्थियों की लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(ख) यदि दो अथवा दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक समान हो तो उच्चतर शैक्षणिक योग्यता तथा इसके उपरान्त भी यदि प्राप्तांक एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

8. न्यूनतम अर्हतांक :–

सामान्य वर्ग	–	40%
पिछड़ा वर्ग	–	36.5%
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर–I)	–	34%
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	–	32%

अन्तर्वीक्षा के लिये भी उपरोक्त न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9. परीक्षा का स्वरूप, विषय एवं पाठ्यक्रमः–

लिखित एवं मौखिक परीक्षा का स्वरूपः–

(क) लिखित परीक्षाः– यह **Multiple Choice Objective Type** होगी, जिसमें **100–100** अंकों के निम्न **04 (चार) पत्र** होंगे। प्रत्येक पत्र के लिए **02 (दो) घण्टे** का समय निर्धारित रहेगा।

लिखित एवं मौखिक परीक्षा का स्वरूप

क्र0 सं0	पत्र	विषय	पूर्णांक
1.	**प्रथम पत्र**	औषधि (सामान्य)	**100**
2.	**द्वितीय पत्र**	(क) शिशु रोग	40
		(ख) शिशु कल्याण एवं परिवार नियोजन सहित निवारक औषधि एवं सामुदायिक स्वास्थ्य।	60
		कुल अंक	**100**
3.	**तृतीय पत्र**	(क) शल्य चिकित्सा (सामान्य)	60
		(ख) ऑर्थोपेडिक सहित विकलांग विज्ञान	40
		कुल अंक	**100**
4.	**चतुर्थ पत्र**	(क) आँख	25
		(ख) कान, नाक एवं गला	25
		(ग) प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान	50
		कुल अंक	**100**
5.	**मौखिक परीक्षा**		**40**